FORM NO.111

फर्द अहकाम

(नियम 26)

न्यायालय सहायक कलक्टर (फास्टट्रैक) श्रीमाधोपुर (सीकर)

सोहनलाल बनाम रामेश्वर वगै0

किस्म मुकदमा इजराय मुकदमा नम्बर 23 /2023

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय लघु हस्ताक्षर जज	नकल ने जरिये अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुई
16.08.2023	वकील डिक्रीदार श्री आदित्य प्रताप सिंह नरूका एड0 ने उपस्थित होकर इजराय प्रार्थना पत्र पेश किया। इजराय दर्ज रजिस्टर की जावें। न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 03.08.2023 की पालना में राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद करने हेतु (यदि प्रकरण में किसी अन्य न्यायालय का स्थगन आदेश आदि नहीं हो तो) तहसीलदार श्रीमाधोपुर को तहरीर जारी की जावें। पत्रावली वास्ते प्राप्त होने पालना रिपोर्ट दिनांक 11.09.2023 को पेश हो। दिलीप सिंह सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रैक) श्रीमाधोपुर (सीकर)	2451 16/8/23
11-9-23	पत्रावली पेश हुई। वकुलाव फरिकेन उपस्थित/ पीठा. अधिकारी दौरे/अन्य कार्य में व्यस्त/ मीटिंग में है। पत्रावली पूर्व आदेशानुसार दिनांक 6-3-24 को पेश हो।	
6-3-24	पत्रावली पेश हुई। वकुलाव फरिकेन उपस्थित/ पीठा. अधिकारी दौरे/अन्य कार्य में व्यस्त/ मीटिंग में है। पत्रावली पूर्व आदेशानुसार दिनांक 11.7.24 को पेश हो।	
11.7.24	पत्रावली पेश हुई। वकुलाव फरिकेन उपस्थित/ पीठा. अधिकारी दौरे/अन्य कार्य में व्यस्त/ मीटिंग में है। पत्रावली पूर्व आदेशानुसार दिनांक 10.2.25 को पेश हो।	
27.02.2025	पत्रावली तारीख पेशी से गिरकर आज पेश हुई। वकील डिक्रीदार उपस्थित। प्रकरण में पटवार हल्का झाडली के हाल पटवारी द्वारा अवगत कराया है कि [illegible] में ऑनलाईन मिलान [illegible] द्वारा पारित निर्णय व डिक्री की पालना तह[illegible]दार [illegible] द्वारा जरिये नामान्तक[illegible] के द्वारा राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद [illegible]की है। प्रकरण में आगे कोई कार्यवाही अपेक्षित नहीं है। अतः इजराय पत्रावली को आगे नहीं चलाकर इसी स्तर पर खारिज की जाकर फैसल किय जाने की स्वीकृति दी जाती है। पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।	3418 20/2/25

Signature Not Verified
Digitally signed by Anil Kumar
Date: 2025.08.26 15:54:39 IST
Reason: SelfAttested